न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.नम्बर 2024/555

1. घनश्याम तंवर पुत्र श्री हरिराम तंवर जाति गुर्जर निवासी हरिराम पैलेस मैन रोड ग्राम भिवाडी तहसील भिवाडी जिला खैरथल–तिजारा।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा राज0।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.10.2024 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा।

उपस्थित–

1. श्री विजय सिंह राठौड वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनाक–17.06.2025

1. यह अपील आर्म्स अधिनियम 1959 के अन्तर्गत जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा के निर्णय दिनांक 23.10.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि अपीलांट श्री घनश्याम तंवर पुत्र श्री हरिराम तंवर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष लाइसेंस नवीनीकरण एवं नवीन शस्त्र खरीदने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 09.01.2014 को दिये गये जिसकी अपील संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने के आदेश दिनांक 09.06.2014 को दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में सिविल रिट पीटिशन संख्या 10109/2014 प्रस्तुत होने पर माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.04.2024 से प्रतिवेदन पर नये सिरे से विचार करते हुये स्पीकिंग आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आर्म्स लाईसेंस अभ्यावेदन खारिज करने के आदेश दिनांक 23.10.2024 को दिये गये हैं।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा के उक्त निर्णय दिनांक 23.10.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा दिनांक 23.10.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पीटिशन संख्या 10109/2014 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.04.2024 से प्रतिवेदन पर नये सिरे से विचार करते हुये स्पीकिंग आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा द्वारामाननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बाबत् पुलिस अधीक्षक भिवाडी से अपने पत्र क्रमांक भिवा/विशा/शस्त्र/2024/1631 दिनांक 22.07.2024 द्वारा जांच कर जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा को जांच रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें अपीलांट के विरूद्ध एक भी तथ्य ऐसा नहीं पाया गया जिससे शस्त्र लाईसेन्स नवीनीकरण किये जाने में बाधा उत्पन्न होती हो। लेकिन तहत् न्यायालय द्वारा जांच रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलांट पूर्व में तिजारा पंचायत समिति का प्रधान भी रह चुका है और मिन अपीलांट के होटल, अस्पताल एवं अन्य व्यवसाय भी संचालित है। मिन अपीलांट के साथ पूर्व में मारपीट जैसी घटना भी हो चुकी है। इसलिए आत्म सुरक्षा के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तथ्यों एवं जांच रिपोर्ट के अवलोकन किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। मिन अपीलांट के विरूद्ध ना तो कोई फौजदारी मामला विचाराधीन है ना ही शांतिभंग के मामले में कभी पाबन्द किया है। इस आधार पर भी प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण बाबत स्वीकार किया जाना चाहिए। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किये जाने की आदेश प्रदान करें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने के आदेश दिनांक 23.10.2024 को दिये गये। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पीटिशन संख्या 10109/2014 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.04.2024 से अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नवीन प्रतिवेदन पर नये सिरे से विचार करते हुये स्पीकिंग आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये थे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नवीन प्रार्थना पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक भिवाडी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। जांच रिपोर्ट अनुसार

आवेदक को पूर्व से जारी शुदा आर्म्स लाईसेंस को नवीनीकरण के संबंध में अनापत्ति जाहिर की गई है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर स्पीकिंग आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये थे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में प्रस्तुत नवीन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के संबंध में स्पष्ट कारण/तर्क अंकित नहीं किये गये हैं जो कि स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा का आदेश क्रमांकः प. न्याय/2024/1739 दिनांक 23.10.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.04.2024 एवं पुलिस अधीक्षक भिवाडी की जांच रिपोर्ट दिनांक 22.07.2024 का सही से अवलोकन करते हुये गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर